

कार्यालय

क्रमांक:-

दिनांक :

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमतीपद.....पदस्थापन स्थान

..... के दिनांकको अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने पर इनकी सेवापुस्तिका के अवकाश लेखों में दर्ज अनुपयोजित उपार्जित अवकाश की एवज में नकद भुगतान राजस्थान सेवा नियम 244 (1) एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 4(12) वित्त 1(1) आय-व्यय/01 दिनांक 03.04.2002 एवं प 1(22) वित्त/जी एण्ड टी/2002 दिनांक 26.03.2002 के अनुसरण में बजट शीर्षक-मांग संख्या - 15 लेखामद - 2071 पेंशन एवं सेवानिवृत्त हितलाभ-01 सिविल-115 छुट्टी नकदीकरण हितलाभ (एन.पी.) अन्तर्गत निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सेवापुस्तिका में अंकित अनुपयोजित उपार्जित अवकाश			भुगतान की जाने योग्य राशि		
अनु. उपार्जित अवकाश	अनु. उपार्जित अवकाश की एवज में एकमुश्त नकद भुगतान	शेष उपार्जित अवकाश	मूल वेतन @-----	महँगाई भत्ता @ -----%	योग

अक्षरे

Signature of DDO

क्रमांक :-

दिनांक :

1. श्रीमान
2. संबंधित कार्मिक
3. व्यक्तिगत पत्रावली।
4. लेखा शाखा/कार्यालय प्रति।

Signature of DDO